



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2()पंरावि/प्रशा.1/वि.अ/संस्था/पदस्थापन/2012/256 जयपुर, दिनांक 3.2.17

आदेश

श्री भगाराम चौधरी, विकास अधिकारी पंचायत समिति चौहटन जिला बाडमेर की विकास अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर ली गयी सेवायें समाप्त कर इनके पैतृक विभाग (माध्यमिक शिक्षा) को लौटायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे विकास अधिकारी के पद का कार्यभार विभागीय परिपत्र दिनांक 15.7.2014 के अनुसार पंचायत समिति में पदस्थापित अधिकारियों के वरीयता क्रम में संभलाकर तत्काल अपनी उपस्थिति पैतृक विभाग में प्रस्तुत करें, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(गिरीश प्रराशर)

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा-1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्राविपंरा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपंरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपंरा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
8. संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
9. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर।
10. जिला कलेक्टर बाडमेर।
11. अतिरिक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बाडमेर।
12. विकास अधिकारी पंचायत समिति चौहटन जिला बाडमेर।
13. श्री भगाराम चौधरी, हाल विकास अधिकारी पंचायत समिति चौहटन जिला बाडमेर को पालनार्थ।
14. आदेश पत्रावली।

(गिरीश प्रराशर)

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा-1)